

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प07(6)राज/वाद/2025

जयपुर, दिनांक 8/10/2025

:: आदेश ::

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना 05(51)कार्मिक/क-2/88, दिनांक 31.12.1996 के तहत श्रीमती संगीता पत्नी स्व० श्री संदीप बोला, जन्म तिथि 02.03.1990 व शैक्षणिक योग्यता— स्नातक, जाति—जाट, निवासी वार्ड नं०-4, ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला—चूरु को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चूरु में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उक्त नियुक्ति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी तथा उक्त पद पर की गई नियुक्ति उक्त शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्तों के अध्याधीन भी होगी:—

1. राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची-4 के नियम 16 के संबंधित लेवल L-5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रु. 14600/- प्रतिमाह की दर से देय होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी.(सिविल) 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद की नियमित वेतन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची-प्रथम, पार्ट-बी के नियम नियम-5(vi) और (vii) के पे-मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं०-1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/आदेश लागू होंगे।
4. परिवीक्षा काल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
5. परिवीक्षाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति, एवं विशेष वेतन) देय नहीं होंगे।

6. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
7. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
8. दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं, तो राज्य सरकार/इस विभाग द्वारा इनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
10. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह०
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
2. जिला कलक्टर, चूरु को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती संगीता पत्नी स्व० श्री संदीप बोला को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करवाकर संबंधित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चूरु के कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर इस विभाग को अवगत करावें।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चूरु।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्रीमती संगीता पत्नी स्व० श्री संदीप बोला, निवासी- वार्ड नं०-4, ग्राम बूटिया, तहसील एवं जिला-चूरु।
9. रक्षित पत्रावली।

08/10/25
(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि